कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास रायगढ़ (छ.ग.)
दूरभाष क्रमांक 07762–224491, ई–मेल आईडी dcpsraigarh@gmail.com

:: आदेश ::

क्रमांक/660/मबावि/डीसीपीयू/2019–20 रायगढ़, दिनांक 25/10/2019

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग नया रायपुर का पत्र क्रमांक/8456/मबावि/आईसीपीएस/13–14 रायपुर, दिनांक 04.03.2014 के द्वारा रायगढ़ जिले में बाल संप्रेक्षण गृह संचालन हेतु प्राप्त स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1–54/2012/मबावि/50, नया रायपुर दिनांक 02.03.2015 द्वारा एकीकृत बाल संरक्षण योजना अंर्तगत बाल संप्रेक्षण गृह के संसोधित वित्तिय मापदण्डो एवं पदो की स्वीकृति तथा कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक/379/मबावि/डीसीपीयू/2019–20 रायगढ़, दिनांक 15.07.2019 को हाउसफादर 02 पद हेतु जारी विज्ञापन के अनुपालन में चयनित उम्मीदवारों को निम्न शर्तो के अधीन संविदा पर नियुक्त किया जाता है :–

क्र.	चयनित उम्मीदवार का नाम	पिता का नाम	जाति वर्ग	पत्र व्यवहार का पता	एकमुश्त संविदा वेतन	नियुक्ति अवधि
1	श्री अनुज राम सिदार	श्री हेमलाल सिदार	अ.ज.जा.	ग्राम– बांजीपाली, पोस्ट– साल्हेओना, तहसील– बरमकेला, जिला– रायगढ़ (छ.ग.)	11,000	जारी आदेश तिथि से दिनांक 31.03.2021 तक
2	श्री त्रिलोचन प्रधान	श्री संध्यालाल प्रधान	अनारक्षित	ग्राम– अमुर्रा, पोस्ट– बरपाली, तहसील– बरमकेला, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)	11,000	जारी आदेश तिथि से दिनांक 31.03.2021 तक

शर्तें –

01. संविदा नियुक्ति आदेश जारी तिथि से 31.03.2021 तक के लिए होगी। तत्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन कर संविदा आगे बढाने का निर्णय विभाग/संबंधित जिले के सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा, अन्यथा संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
02. संविदा नियुक्ति अवधि में योजना प्रावधानों के अनुसार एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा। अतः संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी, सिर्फ शासन के नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। सेवा समाप्ति के बाद संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के पेंशन उपादान भत्ता मृत्यु लाभ इत्यादि की भी पात्रता नही होगी।
03. संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये भी समाप्त की जा सकती है। संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
04. चयनित उम्मीदवार को प्रस्तुत आवेदन के साथ दस्तावेज की एक सेट स्व प्रमाणित प्रस्तुत करना होगा, तथा कोई भी दस्तावेज कभी भी गलत, झुठा या फर्जी पाये जाने पर सेवा समाप्त की जायेगी।
05. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतन देय होगा तथा छत्तीसगढ़ संविदा कर्मचारी भर्ती नियम 2012 के अनुसार अवकाश की पात्रता होगी, तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेश, नियम व शर्ते लागू होगी।
06. चयनित उम्मीदवारो दिनांक 15–11–2019 तक कार्यालयीन समय में आवश्यक मूल दस्तावेज के सत्यापन पश्चात् कार्य भार ग्रहण करना होगा। उक्त तिथि तक कार्य भार ग्रहण न करने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
07. उम्मीदवारो को जिला मेड़िकल बोर्ड रायगढ़ से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेश प्रमाण पत्र 01 माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य परीक्षण में शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवाये समाप्त की जायेगी।

(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

पृ. क्रमांक /661/ मबावि / डीसीपीयू / 2019–20 रायगढ़, दिनांक 25 10 / 2019

प्रतिलिपि :–

01. आयुक्त, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
02. कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण इकाई रायगढ की ओर सादर सूचनार्थ।
03. माननीय अध्यक्ष / सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड रायगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
04. जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी रायगढ़ की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि नियुक्ति आदेश को जिले के वेबसाईट www.raigarh.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करे।
05. सहायक संचालक, जनसंपर्क रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. प्रभारी अधीक्षक, बाल संप्रेक्षण गृह रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
07. लेखा शाखा, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. स्थापना शाखा, बाल संप्रेक्षण गृह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. संबंधित .... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned by CamScanner